सत्यमेव जयते

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
नाभिकीय पुन: चक्रण बोर्ड
आई एन आर पी ओ
आईटी ,कम्युनिकेशन & पी पी एस, तारापुर- 401502.

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

दिनांक: /08/2025

निविदा सूचना सं.: एनआरबी/बीएआरसी(टी)/जीएसओ/सी&पीपीएस/पीवीएसआर/2025/ ओपीए-

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से परियोजना प्रबंधक, आई एन आर पी ओ, नाभिकीय पुन:चक्रण बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तारापुर डाकघर : घिवली, जिला: पालघर, महाराष्ट्रत -401502 द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दो भागों अर्थात भाग 'क'- योग्यता मानदंड से संबंधित कागजात तथा भाग 'ख'- वित्तीय बोली में ई-निविदाकरण के माध्यम से ऑनलाइन मद-दर निविदा आमंत्रित की जाती है, जिनका नाम सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, रेल्वे, राज्य पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों की अनुमोदित सूची में हों अथवा ऐसे महत्वपूर्ण समान कार्य करने का पर्याप्त अनुभव एवं क्षमता रखते हों।

i)	कार्य का नाम	बीएआरसी, तारापुर में सुरक्षा प्रणाली नेटवर्क का विस्तार
ii)	कार्य की अवस्थिति	भा प अ कें तारापुर साइट
iii)	अनुमानित लागत	रु. Rs.41,00,000/- (रु. इकतालीस लाख मात्र)
iv)	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	रु. Rs.82,000/- (रु. बयासी हजार मात्र)

टिप्पणी:-

मूल बयाना राशि परियोंजना प्रबंधक, आई एन आर पी ओ, नाभिकीय पुन: चक्रण बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तारापुर, घिवली (पोस्ट), ताल एवं जिला पालघर, महाराष्ट्र-401502 के कार्यालय में, भाग-ए खोलने से पहले जमा की जानी चाहिए, अधिमानतः अनुसूचित बैंक द्वारा जारी सावधि जमा रसीद / अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चेक के रूप में, वेतन एवं लेखा अधिकारी, प्रिफ्री बीएआरसी, तारापुर के पक्ष में एवं बोइसर महाराष्ट्र में देय।

बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामले में बयाना राशि का न्यूनतम 50% या 20.00 लाख, जो भी कम हो, ऊपर निर्धारित प्रपत्र में होगा और शेष राशि निविदा भाग 'ए' के परिशिष्ट 'एफ' के अनुसार, परियोजना प्रबंधक के पक्ष में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जा सकती है। जमा बयाना के भाग के रुप में प्रस्तुत की गई बैंक गांरटी निविदा प्रस्तुतीकरण की तिथि से छह माह की अवधि या उससे अधिक के लिए वैध होनी चाहिए। बोली के साथ जमा की गई बयाना राशि निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के बाद (पुष्टि के बाद) वापस कर दी जाएगी।

v)	निविदा दस्तावेज़ की लागत	शून्य

vi)	निविदा प्रक्रिया शुल्क	रु. 0/-
vii)	पूर्णता की अवधि	4 कैलेंडर महीने ।
viii)	डाउनलोड के लिए दस्तावेज़ों की उपलब्धता की तिथियां	https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट पर दिनांक **22/08/2025 (17:00** बजे **)** से ऑनलाइन निविदाएं जमा करने (वेबसाइट पर ऑनलाइन बोली को प्रस्तुत करने) की अंतिम तारीख तथा समय तक । एनआईटी **www.barc.gov.in** वेबसाइट पर भी, देखने मात्र हेतु, उपलब्ध है ।
ix)	बोली-पूर्व बैठक की तिथि और स्थान	बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि बोली-पूर्व अपनी पूछताछ दिनांक **01/09/2025** तक ईमेल के माध्यम से भेजें । बोली-पूर्व की बैठक दिनांक **03/09/2025 from 14:30** बजे से ऑनलाइन इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बोलीपूर्व स्पष्टीकरण https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट पर दिनांक **04/09/2025** तक अपलोड किए जाएंगे ।
x)	ऑनलाइन निविदाएं जमा करने की अवधि	**04/09/2025 (12:00** बजे**)** से **16/09/2025 (14:00** बजे **)** तक
xi)	भाग क के ऑनलाइन खुलने की तिथि और समय	**16/09/2025 (15:00** बजे**)**
xii)	योग्य बोलीकर्ताओं के भाग ' ख' को खोलने की तारीख	https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर बाद की तारीख को अधिसूचित की जाएगी ।

<u>सूचना, पात्रता मानदंड, शर्तें एवं अनुदेश</u>

सूचना :

2. निविदा दस्तावेज दो भागों अर्थात भाग 'क' (तकनीकी बोली) एवं भाग 'ख' (वित्तीय बोली) में तैयार किया गया है।

भाग 'क' में योग्यता मानदंड से संबधित कागजात शामिल है यथा: खंड I-ई-निविदा आमंत्रण सूचना (अंग्रेजी और हिंदी भाषा में), खंड II- अनुबंध का प्रपत्र एवं ठेकेदारों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य नियम एवं निर्देश, ज्ञापन, खंड III- अनुबंध की सामान्य शर्तें , अतिरिक्त शर्तें, खंड IV- निविदाकारों को विशेष निर्देश, खंड V-तकनीकी विवरण, खंड VI- टेंडर ड्राइंग्स की सूची, खंड VII- अनुसूची 'ए' से 'एफ' तक के प्रोफार्मा ।

भाग 'बी' (वित्तीय बोली) में अनुसूची 'ए' - मात्रा और दरों की अनुसूची शामिल है।

बोलीकर्ताओं के पास क्लास III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए । निविदा में भाग लेने के लिए, संभावित बोलीदाताओं को अपनी यूजर आईडी/पासवर्ड और क्लास III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app के होम पेज पर लॉग इन करना होगा।

संभावित बोलीदाताओं को एक्सेल प्रारूप में मूल्य बोली डाउनलोड करनी होगी तथा एक्सेल दस्तावेज को भरना होगा तथा नाम बदले बिना उसे अपलोड करना होगा। कृपया निविदा प्रस्तुत करने के लिए सहायता मैनुअल देखें / एनआईटी के अनुसार सहायता डेस्क से संपर्क करें।

उल्लिखित कार्यों के लिए निविदा चित्रों (धारा VI) का एक सेट केवल परियोजना प्रबंधक, आईएनआरपी (ओ), एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर, पोस्ट-घिवली, जिला पालघर, महाराष्ट्र, 401502 के कार्यालय में निविदा जमा करने के अंतिम दिन से एक कार्य दिवस पहले तक निरीक्षण के लिए बोली लगाने वाले को उपलब्ध कराया जाएगा और बोली लगाने वाले, यदि आवश्यक हो तो चित्रों का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं और यह वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होगा।

संभावित बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को बीएआरसी परिसर में प्रवेश के लिए पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड जैसे फोटो पहचान पत्र साथ लाने होंगे। बीएआरसी परिसर एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर में प्रवेश की व्यवस्था करने के लिए बोलीदाता को फ़ोन या ईमेल पर पूर्व सूचना देनी होगी।

सफल बोलीदाता को कार्य सौंपे जाने के बाद उपरोक्त सभी दस्तावेज समझौते का हिस्सा बन जाएंगे।

प्रारंभिक पात्रता मानदंड:

3. बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए :

(ए) ठेकेदारों के समुचित वर्ग, यदि कोई है, में पंजीयन।

(बी) न्यूनतम रु.16,40,000/- का किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र तथा निविदा खुलने की तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(सी) दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले 3 लगातार वित्तीय वर्षों के दौरान कम से कम रु. 41,00,000/- का औसत वार्षिक वित्तीय टर्नोवर होना चाहिए । इसे किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित होना चाहिए (चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण-पत्र की स्कैन प्रति अपलोड किया जाए) जिस वर्ष में कोई टर्नओवर नहीं किया गया है, उसे भी औसत निकालने के लिए गिना जाएगा ।

(डी) दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान दो वर्षों से अधिक में कोई नुकसान नहीं हुआ होना चाहिए । इसे पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित और ऑडिट किया जाना चाहिए।

(ई) पिछले 7 वर्षों के दौरान इसी प्रकार के कार्य किए गए।

(एफ) बोलीदाता के पास कार्य के उचित एवं समय पर निष्पादन के लिए आवश्यक सूची के अनुसार निर्माण उपकरण होना चाहिए। अन्यथा, उसे यह प्रमाणित करना चाहिए कि वह किराए पर लेने आदि द्वारा उपकरण का प्रबंधन करने में सक्षम होगा और उन फर्मों की सूची प्रस्तुत करेगा जिनसे वह किराए पर लेने का प्रस्ताव करता है।

(जी) ठेके के उचित निष्पादन के लिए बोलीकर्ता के पास पर्याप्त संख्या में तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारी होने चाहिए।

(एच) वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति ।

(आई) स्थायी खाता सं (पैन) कार्ड की प्रति ।

(जे) पी एफ पंजीकरण सं. ।

(के) विभिन्न ग्राहकों के लिए निष्पादित कार्य के मूल्य के प्रमाण के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र/जीएसटी प्रमाणपत्र

(एल) बोलीकर्ता एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी भी सरकार विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम द्वारा पिछले 7 वर्षों में निविदा से विवर्जित नहीं किया गया है। । यदि बोलीकर्ता को विवर्जित हो तो, तो उसे

विवर्जित होने का विवरण घोषित करना होगा और विवर्जित होने संबंधी आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। मामले के गुण-दोषों पर विचार-विमर्श करने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी बोलीकर्ता की पात्रता संबंधी निर्णय करेगा।

(एम) निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पिछले सात (07) वर्षों के दौरान सभी प्रकार से समान कार्यों को सफलतापूर्वक और संतोषजनक ढंग से पूरा करने का अनुभव (कार्य के ग्राहक द्वारा प्रमाणन के आधार पर)। संयुक्त उद्यमों में कार्यों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(एन) बोलीदाता, सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश-2017, आदेश संख्या "पी-45021/2/2017-बी.ई. -II, संशोधन, दिनांक 16/09/2020 और समय-समय पर संशोधित, में परिभाषित "वर्ग- 1 स्थानीय आपूर्तिकर्ता" होना चाहिए।

4. बोलीकर्ता द्वारा संतोषजनक रुप से (कार्यो के ग्राहक वर्ग द्वारा कार्यनिष्पादन के प्रमाणन पर आधारित)

(i) 3 (तीन) समान कार्य, प्रत्येक कार्य का कीमत रु.16,40,000/- से कम नहीं होनी चाहिए, अथवा

(ii) 2 (दो) समान कार्य, प्रत्येक कार्य का कीमत रु.24,60,000/- से कम नहीं होनी चाहिए, अथवा

(iii) 1 (एक) समान कार्य, जिसकी कीमत रु. 32,80,000/- से कम नहीं होनी चाहिए।

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पिछले दिन को समाप्त होने वाले पिछले 7 (सात) वर्षों के दौरान और यदि पात्र समान कार्य केंद्र सरकार के विभाग / राज्य सरकार के विभाग / केंद्र या राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / केंद्रीय स्वायत्त निकायों में नहीं किए जाते हैं, तो इसके लिए बोलीदाता द्वारा टीडीएस या जीएसटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. इस प्रयोजन के लिए, 'कार्य की लागत' का अर्थ सरकार/ग्राहक द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की लागत सहित पूरे किए गए कार्य का सकल मूल्य होगा, लेकिन मुफ्त आपूर्ति की गई सामग्री को छोड़कर।

इस खंड के प्रयोजन के लिए, "समान कार्य" का अर्थ है "नेटवर्क घटकों/नेटवर्क स्विच/कैट-6 केबल/एफओसी केबल की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग "

समान कार्य भारत में निष्पादित कार्य होना चाहिए। संयुक्त उद्यम कार्य का मूल्य स्वीकार्य नहीं है।

6. निष्पादित कार्य के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदा को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किया जाएगा।

7. बोलीकर्ता की बोली लगाने की क्षमता कार्य के अनुमानित कीमत के बराबर अथवा उससे अधिक होना चाहिए। सूत्र द्वारा तय किया जाएगा बोली लगाने की क्षमता को निम्नलिखित :

बोली लगाने की क्षमता = (A X N X 2) - B

जहाँ,

A = पूरा किये गये तथा जारी कार्य को ध्यान में रखते हुए पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में किये गये कार्य में अधिकतम टर्नओवर। पूर्ण किए गए कार्य के मूल्य को 7% प्रतिवर्ष के साधारण दर से बढ़ा करके वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा।

N = कार्य, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई है, की पूर्णता हेतु निर्धारित किये गये वर्षों की संख्या।

B = मौजूदा प्रतिबद्धताओं और चल रहे कार्यों का मूल्य, जो काम पूरा होने की अवधि के दौरान पूरा किया जाना है जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

8. भले ही कोई बोलीदाता उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, वह अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा, यदि:

(i) बोलीदाता ने भ्रामक या गलत प्रतिनिधित्व किया है या पात्रता मानदंड दस्तावेज में आवश्यक प्रपत्रों, बयानों और संलग्नकों में जानबूझकर जानकारी को छिपाया है,

(ii) बोलीदाता के पास खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड है जैसे काम छोड़ना, अनुबंध को ठीक से पूरा नहीं करना या वित्तीय विफलताओं / कमजोरियों आदि।

(iii) बोलीदाता अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी कदाचार या कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल है।

(iv) यदि प ऊ वि सुरक्षा से बोलीदाता के खिलाफ कोई प्रतिकूल इनपुट प्राप्त होता है।

9. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म/कंपनी होनी चाहिए। संयुक्त उद्यम तथा /अथवा कंसोर्टियम स्वीकार्य नहीं है।

शर्तें :

10. निविदा के भाग 'क' के खुलने के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी, एक निरीक्षण दल गठित करेगें, जो निम्नलिखित आधार पर आधारित निविदाकारों के चयनित चालू कार्य क्षेत्रों/ पूर्ण किए गए कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकें :-

ए) वित्तीय क्षमता एवं पिछले 5 वर्षों के दौरान उनका टर्नओवर।

बी) संबंधित कार्य के संदर्भ में कंपनी की तकनीकी क्षमताएं।

सी) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप।

डी) कंपनी की संगठनात्मक संरचना।

ई) कंपनी द्वारा संबंधित कार्य करने हेतु अपेक्षित आवश्यक संसाधन।

एफ) समय एवं गुणवत्ता की सजगता।

जी) असंगत दावे एवं विवाद करने की कंपनी की प्रवृत्ति।

एच) क्षेत्र नियोजन क्षमता।

आई) कंपनी की कार्य को बैक टू बैक/उप किरायेदारी पर सौंपने की प्रवृत्ति।

जे) किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा बोलीदाता को प्रतिबंधित करने की प्रकृति (यदि कोई हो)।

अर्हता मानदंड से संबंधित कागजातों का मूल्यांकन : इसे एनआईटी में संदर्भित योग्यता मानदंड पर आधारित वित्तीय बोली को खोलने से पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नियम पुस्तक 2014 के परिशिष्ट 20 के अनुलग्नक -1 के अनुसार किया जाएगा।

बोलियों का वित्तीय मूल्यांकन : वित्तीय बोली को खोलने की तिथि को उन बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाएगा जिनके भाग -क (अर्हता मानदंड से संबंधित कागजात) को विभाग द्वारा संतोषजनक पाया जाता है तथा केवल ऐसे बोलीकर्ताओं के भाग-ख (वित्तीय बोली) को खोला जाएगा।

इंगित कार्य की अनुमानित लागत केवल लगभग है और ठेकेदार दरों की विस्तार से गणना करेगा।

11. आवेदक को बोली का भाग बी खोलने से पहले पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर निम्नानुसार शपथ पत्र मूल प्रति में प्रस्तुत करना होगा :

"मैं/हम वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि पात्र समान कार्य (कार्यों) को किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से बैक टू बैक आधार पर निष्पादित नहीं किया गया है। हम पुष्टि करते हैं कि कंपनी परिसमापन के अधीन नहीं है। इसके अलावा, हम समझ गए हैं कि यदि इस तरह का उल्लंघन विभाग के संज्ञान में आता है, तो मुझे/हमें भविष्य में एनआरबी, बीएआरसी अनुबंधों में निविदा देने से वंचित किया जा सकता है।

"मैंने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोली लगाने वाले से खरीद पर प्रतिबंध और ऐसे देशों के ठेकेदारों को उप-ठेके पर देने के संबंध में अनुबंध- I में खंड को भी पढ़ा है; मैं प्रमाणित करता हूं कि यह बोलीदाता ऐसे देश से नहीं है या, यदि ऐसे देश से, सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया है और ऐसे देशों के किसी ठेकेदार को तब तक उप-अनुबंध नहीं करेगा जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत न हो। मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह बोलीदाता इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विचार किए जाने के योग्य है। (जहां लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण का साक्ष्य संलग्न किया जाएगा।)"

12. भाग 'ए' खोलने के बाद निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. सशर्त छूट सहित किसी भी शर्त वाली निविदाएँ अस्वीकार कर दी जाएँगी। हालाँकि, बिना शर्त छूट वाली निविदाएँ स्वीकार की जाएँगी।

14. यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअकें में भविष्य में हमेशा के लिए निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से रोक दिया जाएगा । यदि कार्य शुरू करने से पहले भी ऐसे उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो भा.प.अ. केंद्र, तारापुर, किसी भी अधिकार या उपाय पर बिना किसी पूर्वधारणा के, ईएमडी को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

15. कार्य करने के लिए स्वीकृत समय की गणना कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 15वें दिन या कार्य प्रारंभ होने की वास्तविक तिथि, जो भी पहले हो, से की जाएगी।

16. निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 120 (एक सौ बीस) दिनों के लिए वैध रखी जाएगी। यदि कोई बोलीकर्ता अपनी निविदा को वैधता अवधि के भीतर और कार्य प्रदान करने से पहले, जो भी पहले हो, वापस ले लेता है या निविदा के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो सरकार किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, बयाना राशि का 50% (पचास प्रतिशत) पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगी । इसके अलावा, बोलीकर्ता को कार्य की पुन: निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

17. यदि निविदा खुलने की अंतिम तारीख को छुट्टी घोषित की जाती है तो उक्त तारीख को तदनुसार आगे के कार्य दिवस तक स्थगित माना जाएगा।

18. भावी बोलीकर्ता को 1(iv) में वर्णित ईएमडी दस्तावेजों जैसे एफडीआर/डीडी/बीसी/बीजी की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी तथा इनकी मूल प्रति(यां) भाग "ख" के खोलने के पहले "परियोजना प्रबंधक, आई एन आर पी ओ, एनआरबी, बीएआरसी तारापुर, डाकघर : घिवली, जिला: पालघर, महाराष्ट्र -401502" के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर निविदा अस्वीकृत होगी।

19. बिल के समग्र रकम की 2.5% की दर से प्रतिभूति जमा की वसूली, ठेकेदार के प्रत्येक बिल तथा अंतिम बिल से तब तक की जाएगी जब तक कि वसूली गई कुल राशि कार्य के निविदाकृत मूल्य के 2.5% के प्रतिभूति जमा के बराबर न हो जाए।

सुरक्षा जमा किसी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रुप में भी स्वीकार किया जाएगा। किसी अनुसूचित बैंक के फिक्सड डिपाजिट रसीद को भी स्वीकार किया जाएगा।

20. इसके अलावा ठेकेदार को, कार्यादेश जारी होने की तिथि से या कार्य प्रारंभ होने से पहले जो भी पहले हो, 15 दिनों के भीतर जमा करने के लिए अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट / सावधि जमा रसीद / बैंक गारंटी / बैंकर चेक के रूप में अनुबंध के निविदा मूल्य के 5% के बराबर राशि निष्पादन गारंटी जमा करनी होगी।

21. यदि सफल बोलीकर्ता, कार्य आदेश जारी करने की तारीख से अथवा कार्य प्रारंभ करने की तारीख के पूर्व, जो भी पहले हो, के 15 दिनों *(और विभाग द्वारा प्रदान की गई छूट अवधि, यदि कोई हो, के अंतर्गत)* के भीतर निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो विभाग [भापअकें तारापुर] किसी भी अधिकार या उपाय पर बिना किसी पूर्वधारणा के, उक्त बयाना राशि को बिना किसी सूचना दिए पूर्ण रूप से जब्त कर सकता है।

22. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

23. निविदाओं के संबंध में प्रचार-प्रसार करना पूर्णतः निषिद्ध है तथा प्रचार-प्रसार करने वाले बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं।

24. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

25. i) कोट दरों में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल होना चाहिए और बोलीदाता द्वारा देय होगा। एनआरबी, भापअकें तारापुर इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। बोलीदाता को माल और सेवा कर (जीएसटी)

के तहत पंजीकृत होना चाहिए और काम पर मौजूदा आदेश के अनुसार लागू जीएसटी का भुगतान ठेकेदार द्वारा संबंधित कर अधिकारियों को किया जाना चाहिए।

ii) यथा लागू श्रम कल्याण उपकर ठेकेदार को भुगतान किये गये प्रत्येक बिल से वसूल की जाएगी ।

iii) आयकर, जीएसटी टीडीएस एवं अन्य कोई कर जैसा लागू हो, ठेकेदार को भुगतान किये गये प्रत्येक बिल से काटा जाएगा ।

iv) सभी कर्मियों को लागू न्यूनतम मजदूरी देनी होगी ।

v) ठेकेदार को ईपीएफ एवं ईएसआईसी के अधीन पंजीकृत होना चाहिए । ठेकेदार को ठेका कर्मियों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी को संबंधित एजेंसी को जमा करना होगा ।इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि ईपीएफ एवं ईएसआईसी को वास्तविक रुप से एवं असली रुप में ठेकेदार द्वारा अदा किया गया है, ईपीएफ एवं ईएसआईसी (दोनों का नियोक्ता का अंशदान) विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी । बोलीकर्ता अपनी दरों में ईपीएफ एवं ईएसआईसी पर विचार नहीं करेगा ।

26. **जिन सफल बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उन्हें भापअकें तारापुर के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्मिकों जैसे: इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मजदूरों का अपने खर्चे पर पुलिस विभाग द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा ।**

सुरक्षा जांच के परिणामस्वरूप ठेकेदार/कंपनी/फर्म/मालिक और/या उसके अनुबंध कर्मियों के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल चरित्र और पूर्ववर्ती टिप्पणी/अधिसूचना की प्राप्ति के मामले में, बीएआरसी बिना कारण बताए / 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए बिना अनुबंध को तुरंत समाप्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है। इस परिस्थिति में ठेकेदार को भापअकें तारापुर द्वारा शुरू की गई उपरोक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि/दायित्व का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। भापअकें तारापुर के पास समय-समय पर डीएई/ भापअकें द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने/अनुपालन करने में ठेकेदार की ओर से विफलता के लिए सरकार के पास आंशिक/पूर्ण प्रदर्शन सुरक्षा और/या सुरक्षा जमा को जब्त करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

अनुदेश :

27. बोलीकर्ता को https://eprocure.gov.in/eprocure/app के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार उल्लेखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पंजीकृत होना जरूरी है। यदि आवश्यक हो, उन्हें ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध ब्योरे के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।

28. उपर्युक्त समय तथा तारीख तक निविदाएं ऑनलाइन प्राप्त हो जानी चाहिए । उपर्युक्त समय एवं तारीख पर भाग 'क' खोली जाएगी । भाग 'क' खोलने के पश्चात, मूल्यांकन के लिए ठेकेदार के जारी /पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है । योग्यता संबंधी दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार बोलीकर्ताओं को योग्य घोषित किया जाएगा । योग्यता प्राप्त बोलियों को नियम को अधिसूचित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा । भाग 'ख' (वित्तीय बोली) खुलने की तारीख की सूचना सभी योग्य बोलीकर्ताओं को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी ।

29. निविदा खुलने के बाद, बोलीकर्ता लॉग इन करके बोलियों की स्थिति को देख सकते हैं ।

30. बोलीदाता को प्रत्येक वस्तु की दर उद्धृत करना सुनिश्चित करना होगा। वित्तीय बोली https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर इस निविदा दस्तावेज़ के साथ BoQ_XXXX.xls के रूप में उपलब्ध है। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे **BoQ_XXXX.xls** को यथावत डाउनलोड करें और अनुमति दिए गए कॉलम(अनप्रोटेक्टेड), जो अलग रंग में दिखाया देगा में अपनी दरों को उद्धृत करें तथा अन्य विवरण (जैसे बोलीकर्ता का नाम) भरें । जैसे ही उक्त विवरण भर दिया जाएगा उसके पश्चात बोलीकर्ता को उसे सेव(save) करके फाइल का नाम परिवर्तन किए बिना उसे ऑन लाइन प्रस्तुत करना होगा । **बोलीकर्ता डाउनलोड की गई मूल्य बाली टेम्प्लेट में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ /संशोधन नहीं करेंगे** । यदि बोलीकर्ता द्वारा कोई सेल खाली छोड़ा जाता है तथा कोई दर उद्धृत नहीं किए जाते हैं तो एसे मद की दर को "0" (शून्य) माना जाएगा ।

31. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है:-

(i) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित वित्तीय कारोबार ।

(ii) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित मार्च 2023 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए लाभ एवं हानि विवरण (प्रधानता UDIN के साथ) ।

(iii) नवीनतम बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र ।

(iv) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी की सूची ।

(v) कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की सूची ।

(vi) पैन (स्थायी खाता क्र.) कार्ड

(vii) ईएमडी दस्तावेजों जैसे एफडीआर/डीडी/बीसी/बीजी की प्रति ।

viii) पिछले सात वर्षों में पूर्ण किए गए समान कार्यों की सूची जिसमें i) एजेंसी जिसके लिए निष्पादित किया गया है, ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का नियत और वास्तविक समय, iv) क्लाइंट से योग्य प्रकार के समान कार्यों का कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र।

हस्तगत कार्यों की सूची में निम्नलिखित का उल्लेख करें : i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का नियत समय / वर्तमान स्थिति।

ix) प्रमाणपत्र:

क. पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो तो।

ख. कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/निष्पादन प्रमाण-पत्र

ग. जीएसटी पंजीयन प्रमाणपत्र।

घ. पीएफ पंजीकरण प्रमाण-पत्र ।

(x) यह वचन (अंडरटेकिंग) कि इसी प्रकार का कार्य(र्यों) को बैक टू बैक आधार पर दूसरे ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित नहीं कराया गया है ।

(xi) भाग क: खंड II तथा ठेके की सामान्य शर्तों के खंड (क्लाज) 11 के अनुसार घोषणा

(xii) वैध विद्युत लाइसेंस, यदि लागू हो ।

(xiii) घोषणा कि 3(I) में निर्दिष्टानुसार बोलीकर्ता को निविदा करने से विवर्जित नहीं किया गया है ।

(xiv) कंपनी के पत्रशीर्ष में अनुलग्नक -II में संलग्न प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एबी के अनुसार वचनबद्धता ।

(xv) अनुबंध-III के अनुसार सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) में परिभाषित "वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" होने के संबंध में आधिकारिक पत्र शीर्ष में वचनबद्धता

टिप्पणी : तकनीकी मूल्यांकन के दौरान यदि कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता है तो निरीक्षण समिति उसे प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।

टिप्पणी:

1. पंजीकृत बोलीकर्ता ही निविदाएं प्रस्तुत/अपलोड कर सकते हैं।
2. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण हेतु https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट देख सकती हैं।
3. किसी प्रकार की सहायता/स्पष्टीकरण के लिए (02525) 286296 / 294345 फैक्स - 244200 अथवा एफसीटी क्र 8956680373 से 380 (विस्तार क्र.66296/65147/64345) डायल करें।
4. ई-निविदाकरण में पंजीयन एवं सहभागिता हेतु सहायता के लिए निम्न व्यक्तियों से संपर्क करें:

क. श्री भूषण कुमार और श्री मयूर जाधव दूरभाष नं. 022-25487480

ख. किसी भी तकनीकी संबंधित प्रश्न के लिए कृपया 24x7 निम्नलिखित हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें :

1) 0120-4001 002

2) 0120-4001 005

3) 0120-6277 787

5.. स्थल भ्रमण / स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध भेजने हेतु ई-मेल आईडी:-

सेवा में : pvsreddy@barc.gov.in, mjaroli@barc.gov.in, agangwar@barc.gov.in

यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को सही माना जाएगा।

Reddy
19/08/25

20/08/25

परियोजना प्रबंधक
आई एन आर पी ओ, एनआरबी,
भा प अ कें तारापुर
(भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से)

के. एस. वासुदेवन K.S. Vasudevan
परियोजना प्रबंधक, आईएनआरपी (ओ)
Project Manager, INRP(O)
ना. पु. बो. (ता)/ NRB (T)
भा. प. अ. कें. तारापुर / BARC Tarapur
पोस्ट घिवली, तालुका और जिला पालघर 401502
Po: Ghivali, Tal & Dist. Palghar 401502

निविदा सूचना : एनआरबी/बीएआरसी(टी)/जीएसओ/सी&पीपीएस/पीवीएसआर/2025/ ओपीए- , दिनांक: __/08/2025 हेतु अनुलग्नक -I

I. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बोलीकर्ता इस निविदा में बोली लगाने के लिए तभी पात्र होगा जब बोलीकर्ता सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो।

II. " बोलीकर्ता" (कुछ संदर्भों में 'निविदाकर्ता', 'परामर्शदाता, या 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) का अर्थ किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी से है, जिसमें संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य शामिल है (जो कई व्यक्तियों का संघ है, या फर्म या कंपनियां), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो यहां पहले बताए गए बोलीकर्ताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता है, जिसमें किसी भी एजेंसी की शाखा या ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित कार्यालय शामिल है, जो प्रापण प्रक्रिया में भाग ले रहा है।

III. "एक देश से बोली लगाने वाला जो भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करता है" के आदेश के प्रयोजन का अर्थ है: -

ए. ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत इकाई; या

बी. ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत किसी इकाई की सहायक कंपनी; या

सी. ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से पर्याप्त रूप से नियंत्रित एक इकाई; या

डी. एक इकाई जिसका हिताधिकारी स्वामी ऐसे देश में स्थित है; या

इ. ऐसी इकाई का एक भारतीय (या अन्य) एजेंट; या

एफ. एक प्राकृतिक व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है; या

जी. एक संघ या संयुक्त उद्यम जहां संघ या संयुक्त उद्यम का कोई सदस्य, जो उपर्युक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

IV. उपर्युक्त (iii) के प्रयोजन के लिए हिताधिकारी मालिक निम्नानुसार होगा:

1. एक कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, हिताधिकारी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति है, जो एकल या एक साथ, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, एक नियंत्रित स्वामित्व हित रखता है या जो अन्य साधन के माध्यम से नियंत्रण रखता है ।

व्याख्या:

ए. नियंत्रण स्वामित्व हित" का अर्थ है कंपनी के शेयरों या पूंजी या मुनाफे के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी

बी. "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के समझौते या मतदान समझौते शामिल हैं।

2. एक साझेदारी फर्म के मामले में, हिताधिकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है (हैं), जो एकल या एक साथ काम कर रहा है, या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, साझेदारी की पूंजी या लाभ के पंद्रह प्रतिशत से अधिक की हकदारी का स्वामित्व रखता है।

3. एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के मामले में, हितकारी मालिक वह प्राकृतिक व्यक्ति हैं, जो अकेले या एक साथ कार्य कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदार है ।

4. जहां उपर्युक्त (1) या (2) या (3) के तहत किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है, हिताधिकारी स्वामी वह प्रासंगिक प्राकृतिक व्यक्ति होता है जो वरिष्ठ प्रबंध पदाधिकारी के पद पर है।

5. न्यास के मामले में, हिताधिकारी स्वामी के संबंध में न्यास के प्रवर्तक, न्यासी, न्यास में पन्द्रह प्रतिशत या अधिकार का रखने वाले हिताधिकारियों और किसी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति शामिल होगें, जो नियंत्रण या स्वामित्व की एक श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम रूप से प्रभावी नियंत्रण रखता हो ।

V. एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य के लिए कोई कार्य करने के लिए या तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित होता है।

VI. सफल बोलीकर्ता को भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के किसी भी को उप-ठेके पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत न हो।

निविदा सूचना : एनआरबी/बीएआरसी(टी)/जीएसओ/सी&पीपीएस/पीवीएसआर/2025/ ओपीए- , दिनांक: __/08/2025

हेतु अनुलग्नक -II

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 एबी के अनुसार वचनबद्धता

इसके दो पूर्ववर्ती वर्षों से आयकर रिटर्न भरने की पुष्टि की घोषणा।

मैं, _______________ [नाम], ____________________________ के व्यक्ति/स्वामी/साझेदार/निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में [संस्था का नाम]] पैन _____ के साथ, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधान (बाद में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत आवश्यक निम्नलिखित घोषणा करता हूँ (करती हूँ) :

1. यह कि मैं/हम व्यक्ति/स्वामी/साझेदार/निदेशक के रूप में यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत हूं/हैं ।

2. मैं/हम एतद्वारा घोषित और पुष्टि करते हैं कि मैं/हम आयकर अधिनियम की धारा 206 एबी में प्रदान की गई 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती / आता हूँ / आते हैं ।

3. मैंने/हमने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अनुसार नियत तारीख के भीतर वित्तीय वर्ष ------ और वित्तीय वर्ष -------- के लिए आय की विवरणी विधिवत दाखिल की है - हां / नहीं (जो लागू न हो उसे काट दें)।

4. यदि रिटर्न दाखिल किया गया है तो विवरण इस प्रकार हैं:

मैं/हम, ___________ जिनके पास पैन________ है, एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि धारा 206 एबी का प्रावधान मेरे/हमारे मामले में लागू नहीं है क्योंकि मैं/हम आयकर विवरणी नियमित रूप से भरता हूँ/भरती हूँ/भरते हैं । पावती संख्या और पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख का विवरण (दस्तावेजों के प्रमाण के साथ) नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष/(निर्धारण वर्ष)	आयकर विवरणी भरने करने की तारीख	आईटीआर पावती संख्या
1	-------------- / (-----------)		
2	-------------- / (------------)		

5. मैं/हम उपर्युक्त जानकारी की गलत रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी कर, ब्याज, जुर्माना इत्यादि सहित किसी भी हानि/दायित्व के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता / लेती हूँ / लेते हैं ।

उपर्युक्त सभी सत्य और सही हैं, और हम/मैं इसके समर्थन में किसी भी समय आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूँ ।

....की ओर से

<< अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम>>

<< पदनाम>>

संस्था का नाम:
मुहर:
दिनांक :

निविदा सूचना हेतु <u>अनुलग्नक -III</u>

वचनबंधिता सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश-2017, आदेश संख्या "पी-45021/2/2017-बी.ई. -II, संशोधन, दिनांक 20/09/2020 और समय-समय पर संशोधित, के लिये

एनआईटी नंबर: एनआरबी/बीएआरसी(टी)/जीएसओ/सी&पीपीएस/पीवीएसआर/2025/ ओपीए- , दिनांक: __/08/2025
कार्य का नाम: " **बीएआरसी, तारापुर में सुरक्षा प्रणाली नेटवर्क का विस्तार।**"

उपर्युक्त निविदा संदर्भ के संदर्भ में, मैं/हम मैसर्स ....
(आपूर्तिकर्ता का नाम) एतद्वारा प्रमाणित करता है कि उत्पादों/सेवाओं की पेशकश -----------------------------------
--- -- (नाम कार्य का) न्यूनतम स्थानीय सामग्री की आवश्यकता को "सार्वजनिक खरीद के डीपीआईआईटी आदेश (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश-2017, आदेश संख्या "पी-45021/2/2017-बी.ई. -II, संशोधन, दिनांक 16/09/2020 और समय-समय पर संशोधित" पूरा करता है।

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त कार्य के लिए स्थानीय सामग्री कार्य आदेश के कुल मूल्य का .... % है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर

(नोट: यदि खरीद लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक है, तो स्थानीय सामग्री का यह प्रतिशत वैधानिक लेखा परीक्षक / कंपनी के लागत लेखा परीक्षक / अभ्यासरत लागत लेखाकार / अभ्यासरत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया होना चाहिये जैसा कि उपरोक्त आदेश में परिभाषित किया गया है।)